हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उक्त वाद जो निरीक्षण हेतु पेश किया गया है
अभाव के कारण रिकार्ड में पारित
नहीं किया जा सकता, इसलिए उक्त
वाद पत्र की कार्यवाही माननीय अपर
जिला एवं सेशन न्यायालय डीडवाना में
विचाराधीन वाद के निर्णय तक उक्त वाद
को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत
होता है इसलिए उक्त वाद की कार्यवाही
को इसी स्तर पर सिविल न्यायालय के
अभाव होने के कारण ~~किसी~~ कोई कार्यवाही
नहीं की जा सकती है वाद पत्र के माननीय
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय डीडवाना में
विचाराधीन वाद पत्र के पश्चात पुनः वाद
दायर करके कार्यवाही करेंगे व रजिस्टर
से प्रकरण के निरस्त समाप्त किया
जाता है। आदेश आज खुले न्यायालय
में लिखाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
1/11/19